राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. स.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	आलोच्य आदेश	नाम अधिवक्ता
1.	1205/2025	कुलदीप सिंह	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर एवं अन्य।	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री सुरेन्द्र सिंह
2.	1206/2025	सुमिता	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर एवं अन्य।	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री सुरेन्द्र सिंह

आदेश की दिनांक : 25.02.2025

उपस्थिति :–
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. उपरोक्त तालिका में अंकित दोनों अपीलर्थीगण पति–पत्नी है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि दोनों अपीलार्थीगण का एक ही आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा स्थानांतरण किया गया है, जिसमें अपीलार्थी कुलदीप सिंह का स्थानांतरण क्रमं संख्या–43 पर पी.एच.सी. बुगाला से सी.एच.सी. नाचना जिला जैसलमेर में किया गया है एवं उसी आदेश में क्रमं संख्या 193 पर अपीलार्थी का स्थानांतरण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बुगाला से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फिंच, खण्ड धवा, जिला जोधपुर में किया गया है और अपीलार्थी सुमिता का स्थानांतरण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कोलसिया झुंझुनू से जिला हॉस्पिटल, जालौर में किया गया है। इस प्रकार बिना विवेक का प्रयोग किये पति–पत्नी दोनों को भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थानान्तरित किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थीगण के एक 2 वर्ष का बच्चा है। अपीलार्थीगण के स्थानान्तरण से बच्चे के पालन–पोषण पर विपरीत असर पडेगा। वर्तमान में दोनों का स्थानान्तरण करीब 600 किमी. दूर किया गया है, जो गलत है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से

यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण पति–पत्नी है, जिनका स्थानान्तरण एक ही आदेश से दो भिन्न स्थानों पर लगभग 600 किमी. की दूरी पर किया गया है।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थीगण को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थीगण के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थीगण की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थीगण को वहीं कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थीगण द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

7. मूल आदेश अपील संख्या–1205/2025 एवं छाया प्रति अन्य अपील में संलग्न की जावे।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष